

नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

इटार कस्तुरवानाद संशोधन प्राधिकारी (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) निर्वाचन क्षेत्र से
विद्यान पारबद्ध (सदन का नाम) के निर्वाचन के लिए

सुनील कुमार गुप्ता

जै, अभ्यर्थी, सुपत्र/सुमत्री/प्रत्नी ३/० कुललग्न प्राप्ति माय ३०

वर्ष..... निर्वाची १/५.५.२०१४ तिथि १० अप्रैल निर्वाचन में सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान
और निम्न इक्केह से एतद्वारा शपथ लेता हूँ :- (जो लागू न हो उभे काट दें)



१. किनालिखित मामला/मामले में विलक्षण लक्षित है, जिसकी व्यायालय को जानकारी है :

(I) अधिनियम की बाबा और अपराध का विवरण, जिसकी व्यायालय को जानकारी है :

(II) व्यायालय जिसकी जानकारी है :

(III) मामला संख्या :

(IV) जानकारी सुनने वाले व्यायालय के आदेश की तारीख :

(V) मंजाज सुनने वाले उपर्योगत आदेश के विलक्षण संशोधन के लिए दाखिल की गई अपील/अपीलों/आवेदन/आवेदनों आदि, यदि कोई है का विवरण :

२. कि मैं इसके द्वारा अपना, पति/पत्नी तथा अपने आश्रितों की परिसम्पत्तियों (अचल/चल बैंक जमा आदि) का विवरण डाक के नीचे दे द्या हूँ।

(क) चल परि कर्तव्यपत्रित छोड़े विवरण

(संयुक्त न्यायित के विकास को बताते हुए संयुक्त जात्य में परिसम्पत्तियों को शी बताना होगा)

क्रम संख्या	विवरण	दरवाय	पति/पत्नी का नाम	आश्रित-1 का नाम	आश्रित-2 का नाम	आश्रित-3 का नाम
1.	बैंक	₹15300/-	α	α	α	α
2.	बैंक, वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में जमा एवं दाशि					
3.	कंपनियों में बांड, डिवेन्वर और शेयर					
4.	अब्य वित्तीय संस्थानों एवं एस.एस., एस.; डाक बघत; एल.आई.सी. पालिसी आदि					
5.	मोटर वाहन (कार्यनी मार्डेत आदि का विवरण)					
6.	गहने (आट तथा कीमत का विवरण दें)					
7.	अब्य परिसम्पत्तियाँ जैसे दावे की लीमत/ब्याज					

टिप्पणी : सचिवद्वारा कम्पनियों के सम्बन्ध में बॉड/शेयर/डिवेन्वर की कीमत, स्टाक एवं बैंक जमा कीमत की अनुसार तथा गैर सूचीबद्ध कम्पनियों के मामलों में खातों के अनुसार दी जाए।

राम कुमार मिश्र

एडवोकेट - नोटरी

* मुख्यालय - कलहनगढ़ *

(फॉर्म नं. ७०३०)


मा. नं. 68/16/2006

*आश्रित से तात्पर्य अभ्यर्थी की माय पट वह व्यक्ति पूर्णतः आश्रित है।

(ख) उच्चल परिक्षमपत्तियों का प्रिवरण 2

(टिप्पणी : संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति में संयुक्त स्वामित्व के विस्तार का भी उल्लेख किया जाए)

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रित-1 का नाम	आश्रित-2 का नाम	आश्रित-3 का नाम मादि
1.	कृषि शूमि - दिव्यति(दिव्यतिया) - सर्वेक्षण संख्या - विस्तार (कुल माप) - वर्तमान बाजार कीमत	नहीं				
2.	टैट कृषि शूमि - दिव्यति(दिव्यतिया) - सर्वेक्षण संख्या - विस्तार (कुल माप) - वर्तमान बाजार मूल्य	नहीं				
3.	मवन (व्यापारिक और आवासीय) - दिव्यति(दिव्यतिया) - सर्वेक्षण/दरवाजा नम्बर - विस्तार (कुल माप) - वर्तमान बाजार मूल्य	नहीं				
4.	मकान/अपर्टमेंट मादि - दिव्यति(दिव्यतिया) - सर्वेक्षण/दरवाजा नम्बर - विस्तार (कुल माप) - वर्तमान बाजार मूल्य	नहीं				
5.	अब्य (सम्पत्ति से ब्याज आदि)	नहीं				


15-10-07

प्रदीप कुमार ।

एडवोकेट - नोटरी

* मुख्यालय - फतेहगढ़
(फर्रुखाबाद उप्र.)
रजि. नं. 68/16/2006

3. मैं, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं और सरकारी देनदारियों को बताया अपनी देयताओं/अति देयताओं का विवरण नीचे दे रहा हूँ :-

(टिप्पणी: कृपया प्रत्येक मद के लिए अलग विवरण दें)

क्रम संख्या	विवरण	बैंक/वित्तीय (संस्थान/संस्थानों) दिवार (विभागों) का नाम और पता	दिनांक को बताया गया
(क) (i)	बैंक से ऋण	नहीं	1
(ii)	वित्तीय संस्थानों से ऋण	नहीं	2
(iii)	सरकारी देयताएं (आयकर और सम्पत्ति कर के अतिरिक्त) किसी सार्वजनिक कार्यालय में काम कर रहे हों या काम कर चुके हों, की स्थिति में 'नो डियू' प्रमाणपत्र संलग्न किया जाए।	नहीं	3
(ख) (i)	आषिंगट सहित आयकर (जिस वर्ष तक आयकर विवरण दाखिल की गई, दस निर्धारण वर्ष का भी उल्लेख करें) अपना स्थायी लेखा नम्बर (पी.ए.एन. (पैन) भी दें)	नहीं	4
(ii)	सम्पत्ति कर (सम्पत्ति की विवरणी किस निर्धारण वर्ष तक दाखिल की गई, उसका भी उल्लेख करें)	नहीं	5
(iii)	विक्री कर (कंवल, साम्पत्तिक व्यवसाय के मामले में)	नहीं	6
(iv)	सम्पत्ति कर	नहीं	7

4. बेटी शैक्षिक योग्यताएं निम्नलिखित हैं :-

(स्कूल/विश्वविद्यालय का नाम तथा वर्ष (स्कूल तथा विश्वविद्यालय का विवरण दें) का विवरण भी अवश्य दें जिस वर्ष वह कोई पढ़ा किया गया था) इम्ब० ऐ०

द्वारा प्राप्त शास्त्रज्ञानी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर वर्ष २००१

अभियादी

संत्यापन

सुनील कुमार उप्रा

मैं, उपर्युक्त नाम का अभियादी, इसके द्वारा यह संत्यापित करता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की विषय वस्तु मेरे विश्वास और जानकारी में सत्य और सही है और इस कार्य कोई भी भाग गलत नहीं है और कुछ भी भ्रष्टपूर्ण इसमें छिपाया नहीं गया है।

वर्ष..... 2003 के दिन को संधान पट संत्यापित

14-11-2003

अभियादी

* Sworn before me on this day
* 14-11-2003 - between has hours 10-11
* by Shri Sanjiv Kumar Gupta
who has heard & under stood its contents
read him by S.N. Shukla

सुनील कुमार उप्रा
Identified
Sanjiv Kumar Gupta
S.N. Shukla
14/11/03

गदीप कुमार मिश्र
एडवोकेट - नोटरी
* मुख्यालय - पतेहगढ़ *
(फर्म चालाद उ०प्र०)
मिश्र नं. 68/16/2000

इटावा-फूर्छाबाद स्थानीय प्राधिकारी निवाचिन दोत्र से ॥ निवाचिन दोत्र का नाम ॥

विद्यान परिषद सदन का नाम ॥ के लिए निवाचिन के लिए रिटनिंग आप्सिर के समदा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला शापथ पत्र ॥



मैं सुनील कुमार गुप्ता ॥ पुत्र / मुत्री / मत्नी श्री + कृष्ण गोपाल गुप्ता आयु . ३० ॥

मैं, जो । ५ कुंजरा, फरेहगढ़ की निवासी हूँ और उपरोक्त निवाचिन मैं अभ्यर्थी हूँ सत्यनिर्ठा

प्रतिज्ञा करता हूँ करती हूँ शापथ पर निम्नलिखित कथान करता हूँ करती हैः -
- मैं ऐसा किसी लैंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दर्ढनीय किसी अपराधा अपराधी ॥ का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सदाम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा और प्रतिक्रिया दिया गया है / किस गए है ॥

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराधा ॥ अपराध ॥ का / की अभियुक्त है तो वह निम्न

लिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी ॥ १) छ. ५२७/७९ धारा उ७७ धा. के. फरेहगढ़
२) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याये ३) छ. १८८/८८ धारा उ७७, उ७८ धा. के. फरेहगढ़
४) पुलिस थाना ॥ धाने ॥ कोतवाली फरेहगढ़ ॥ जिला ॥ जिले ॥ फरेहगढ़

राज्य उ०प्र ॥

५) संबंधित अधिनियम ॥ अधिनियमों की धारा ॥ धारास ॥ और उस अपराधा
॥ अपराध ॥ का संक्षिप्त विवरण जिसके ॥ जिनके ॥ लिए अभ्यर्थी आरोपित किया
गया है ॥ १) प्रधारा ३७१
२) प्रधारा १५३, १५३।।

६) ३) प्रधारा उ७८/३५३, ५०४, ५०६। न्यायालय, जिसके ॥ जिनके ॥ द्वारा आरोप ॥ आरोपों ॥ की विवरण की गई सीज़े घम् ॥

७) तारीखा ॥ तारीख ॥ जिनके ॥ आरोप विवरित किया गया था / किस गए है ॥

८) vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी समदा अधिकारिता वाले न्यायालय ॥ रोकी गई है ॥
है ॥

२) मुझे किसी अपराधा ॥ अपराध ॥ को लोक 1951 ॥ १९५१ का ४३ ॥ की धारा ४
की उपधारा ॥ ॥ ॥ या उपधारा ॥ २॥ ने निकाट या उपधारा ॥ ३॥ के अन्तर्गत आने
किसी अपराधा ॥ अपराध ॥ से मिलन के लिए सिद्धोडा छवराया ॥ है / नहीं ॥ आरोप एक वर्ष
या अधिक के लिए कारावास से दबादिष्ट किया गया है / नहीं किया गया है ॥

९) यदि अभिसाक्षी उपयुक्त रूप में सिद्धोडा छवराया गया और दंडादिष्ट किया गया है
तो वह निम्न लिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा ॥ नहीं ॥

१०) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याये ॥

११) न्यायालय, जिला फरेहगढ़ ॥

१२) पुलिस थाना ॥ धाने ॥ जिला ॥ जिले ॥ राज्य ॥

अदोप रुक्षार मिलिंग इति अधिनियम ॥ अधिनियमों ॥ की धारा ॥ धारास ॥ और उस अपराधा ॥ उन
एडवोकेट - नोटरी ॥ का संक्षिप्त विवरण जिसके ॥ जिनके लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया

गया ॥ मुख्यालय - फरेहगढ़ ॥ है ॥

(फरेहगढ़ उ०प्र)

मिलिंग नं. ८८/१८८/२०००

(101)

- IV तारीछा तारीछों जिनको दैडाक्का सुनाया गया था / सुनाएँ थे. पहि...
 V क्या दैडाक्का सदाम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं.

स्थान- १४-११-२००३ फतेहगढ़



14-11-2003

सुनील कुमार उपरा

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

फतेहगढ़ नगर सिंह अभिसाक्षी, यह सत्यापित और छांचित करता / करती हूँ कि इस रापथा पत्र की अनुवासन मेरे सर्वात्मक ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भ्राग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।

फतेहगढ़ स्थान पर आज तारीछा 14-11-2003 को सत्यापित किया।

सुनील कुमार उपरा
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी: इस प्रूफ के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट किए जाएँ।

Statement made before me on this day
 on 14-11-2003 - between has hours 10 am
 by Shri Sunil Kumar Gupta, IAS, IAS
 who has heard & understood its contents
 verified by Shri S.M. Shukla, M.A.
 Signature

दीप कुमार मिश्र

एडवोकेट - नोटरी

कुश्यालय - फतेहगढ़ ★
 (कर्वखावाद उप्र.)
 अधि. नं. 68/16/200*

सुनील कुमार उपरा
 Identify
 Sunil Kumar Gupta
 Shri Sunil
 14/11/03